निगरानी 2458/अ-15

न्यायालय बोर्ड ऑफ रेवेन्यु ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

निगरानी 2015

कालुराम पिता अमरसिंह जाति पाटीदार आयु– 80 वर्ष, धंधा–कृषि निवासी–अमरपुरा तह. घट्टिया जिला उज्जैन

.....प्रार्थी

विरूद्ध

1. सुन्दरबाई पति नन्दा जाति **बलाई** धंधा–खेती निवासी–अमरपुरा तह. घट्टिया जिला उज्जैन

2. हाकम पिता कालुराम जाति पाटीदार आयु–35 वर्ष, धंधा कृषि निवासी–ग्राम कचनारिया तह. तराना जिला उज्जैन

...... प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना पत्र निगरानी धारा 50 भु–राजस्व संहिता अंतर्गत तहसीलदार घट्टिया के आदेश दिनांक 04.07.2015 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

प्रार्थी कालुराम पिता अमरसिंह जाति पाटीदार आयु– 80 वर्ष, धंधा–कृषि निवासी–अमरपुरा तह. घट्टिया जिला उज्जैन की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील घट्टिया के आदेश दिनांक 04.07.2015 के विरूद्ध असतुष्ट होकर निम्न कारणो पर यह निगरानी पेश है।

01. अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार घट्टिया के यहा धारा 131 भु.रा.सं. के अंतर्गत एक प्रकरण चल रहा है जिसका प्रकरण क्रमांक 2/अ/13/09/10 नया नम्बर 5/अ/13/2014–15/15 है सुन्दरबाई विधवा नन्दा जाति बलाई निवासी अमरपुरा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन विरूद्ध

01. हाकम पिता कालुराम जाति पाटीदार आयु–35 वर्ष, धंधा कृषि निवासी–ग्राम कचनारिया तह. तराना जिला उज्जैन

02. कालुराम पिता अमरसिंह जाति पाटीदार आयु– 80 वर्ष, धंधा–कृषि निवासी–अमरपुरा तह. घट्टिया जिला उज्जैन

इति दिनांक 22.07.2015

प्रार्थी

कालूराम

कालूराम पिता अमरसिंह

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला - उज्जैन

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2458-दो/15

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री गजानंद आर सोनकर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व **संहिता में** दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप **अब नवीन** संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा **54(ए) के** अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई **कलेक्टर** द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु **कलेक्टर** को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु **दिनांक** 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	